If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

[F. No. 16-1/2009-NRM-II]
BHIM SINGH, Under Secy. (NRM)

Note : The principal recruitment rules have been notified *vide* G.S.R. 1442 published on 23-9-1967 and amended *vide* G.S.R. 223 published on 10-6-2004.

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 42.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण (नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने को लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के अधीन भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण में नक्शानवीस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण (नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन सहित	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नक्शानवीस	22* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

385 GI/13-22

(6)
जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से नक्शानवीसी में 2 वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य । **वांछनीय :** नैत्यिक रेखांकन और मानचित्र तैयार करने का अभ्यास और अनुभव वांछनीय है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति (परिवीक्षा और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण —अध्यक्ष (ii) भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण के मुख्यालय का कार्यालय प्रमुख —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(12)

(iii) भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण के किसी केन्द्र के कार्यालय का प्रमुख	—सदस्य
(iv) अवर सचिव, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग	—सदस्य

[फा. सं. 16-1/2009-एनआरएम-II]

भीम सिंह, अवर सचिव (एनआरएम)

टिप्पण : मूल भर्ती नियम तारीख 16-10-2008 को प्रकाशित सा.का.नि. 195 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

New Delhi, the 8th February, 2013

G.S.R. 42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Soil and Land Use Survey of India (Draftsman) Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Draftsman in the Soil and Land Use Survey of India under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation), namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Soil and Land Use Survey of India (Draftsman) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Band, Pay Scale with Grade Pay	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Draftsman	22* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Ministerial, Non-Gazetted	Rs. 5200—20200 (Pay Band-1) Rs. 2400 (Grade Pay)	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servants up to 40 years in case of general candidates and up to 45 years in the case of the Schedule Castes

385 GI/13-23

	(6)
	and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim and Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and the Union Territory of Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age or educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation
(7)	(8)	(9)
Essential: Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board and two years' Diploma in Draftsmanship or equivalent from a recognised Institute. **Desirable:** Practice and experience of routine tracing and map preparation is desirable.	Not applicable	Two years

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	Grade from which recruitment by promotion or deputation or absorption, or short-term contract or re-employment is to be made
(10)	(11)
100% by Direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering probation and confirmation) consisting of:— (i) Chief Soil Survey Officer, Soil and Land Use Survey of India —Chairman (ii) Head of the Office of HQ Office of Soil and Land Use Survey of India —Member (iii) Head of the Office of any Centre of Soil and Land Use Survey of India —Member (iv) Under Secretary, Natural Resources Management Division —Member	Not applicable.

[F. No. 16-1/2009-NRM-II]
BHIM SINGH, Under Secy. (NRM)

Note : The principal recruitment rules have been notified vide No. G.S.R. 195 published on 16-10-2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.